संख्या-03/2679 ई-2/तेरह-2014-311/2000

प्रेषक,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 22 जनवरी,2015

विषय:- वर्ष 2015-16 के लिये थोक भांग का क्रय मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-172/दो-380/57ए/लाइसेंस/2015-16/थोक भांग आपूर्ति दर/टेण्डर, दिनांक 28-12-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28-12-2014 में किये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2015-16 के लिये प्रभारवार, थोक भांग आपूर्ति दर/क्रय मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

वर्ष	प्रभार का नाम	थोक भांग आपूर्ति दर (प्रति किलोग्राम रू0 में)
2015-16	आगरा, अलीगढ एवं झांसी प्रभार	16/-
	इलाहाबाद एवं चित्रकूटधाम प्रभार	13/-
	प्रदेश के शेष प्रभारों के लिये	12/-

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra